

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
महावीर कैसर सरथान,
फुलवारी शरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक....

विषय—“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.03.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सरथान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	रजिया देवी पति—बाबुचंद यादव ग्राम—नदौल पोस्ट—नदौल थाना—मसौड़ी जिला पटना एम०सी०एस—जी० 12699	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	अशोक साह पिता—शिवजी साह ग्राम—सहमौरा पोस्ट—शाहपुर थाना—सोनवर्षा जिला—सहरसा एम०सी०एस—जी० 12261	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	कौशरी देवी पति—नैय्यर आलम ग्राम—हडिया बारा वार्ड 10 पो०—हडिया बाजार थाना+जिला—अररिया एम०सी०एस—जी० 12590	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	उमा देवी पति—शत्रुघ्न मडल ग्राम+पो०—मटियारी थाना—फारबीसगज जिला—अररिया एम०सी०एस—जी० 13336	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	रजिया देवी पति-राम बहादुर साह ग्राम-बाडा पोस्ट-बाडा थाना-खोदावन्दपुर जिला बेगुसराय एम0सी0एस-जी0 10409	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	सगीता देवी पति-बृजमोहन साव ग्राम-पो0-नौरगा थाना-मुफसिल जिला-गया एमसीएसन0-जी0 11013	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	रीमा देवी पति-महिन्द्रा पासवान ग्राम-चिचरी बुजुर्ग पो0 राज नगर थाना-राज नगर जिला-मधुबनी एम0सी0एस-जी0 12880	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	चन्द्रकला देवी पति-प्रमोद कुमार ग्राम+पो0-प्रतापटाड थाना-भगवानपुर जिला-वैशाली एम0सी0एस-जी0 3590	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	गुडिया देवी पति-सुरेन्द्र राम ग्राम-लहेरी पो0 लहेरी थाना-कोचस जिला-रोहतास एम0सी0एस-जी0 11644	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	मो0 मोतीउर रहमान पिता-अब्दुल जलील ग्राम+पो0-हथौडी थाना-हथौडी जिला-मुजफ्फरपुर एम0सी0एस-जी0 11321	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	कान्ती देवी पति-श्याम सुन्दर रजक ग्राम-खैरा फिरोज पो0-कासमा थाना-कासमा जिला-औरंगाबाद एम0सी0एस-जी0 12974	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	वीरचन्द्र शर्मा पिता-सोने लाल शर्मा ग्राम+पो0-विलदपुर थाना महुआ जिला वैशाली एम0सी0एस-जी0 10547	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	सच्चिदानन्द प्रसाद सिंह पिता-नागेश्वर प्रसाद सिंह ग्राम-नया टोला मोधोपुर पो0-बख्तियारपुर थाना बख्तियारपुर जिला-पटना एम0सी0एस-जी0 12063	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	सुगधी देवी पति-श्याम बिहारी महतो ग्राम-बैरगिया पो0-सरघटिया थाना-गोपालपुर जिला-प0 चम्पारण एम0सी0एस-जी0 12285	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	भुवनेश्वरी चौधरी पिता-नन्द किशोर लाल ग्राम-बी0-92 ककडबाग हाउसिंग कोलनी, नियर पच शिव मंदिर पोस्ट-लोहिया नगर थाना-ककडबाग जिला पटना एम0सी0एस-डी0 64916	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	सोहनी देवी पति-गनौरी राम ग्राम-सारे पो0-सारे थाना-सारे जिला-नालदा एम0सी0एस-11482	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	मधु गुप्ता पति-प्रेम प्रकाश गुप्ता ग्राम-चदनबाग गली न0-7 पो0-मुगेर थाना-कासिम बाजार जिला-मुगेर एम0सी0एस-एफ 77224	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	मो0 मुन्ना पिता-मो0 कमरूल ग्राम-धुतौली वार्ड 20 पो0-धुतौली थाना-चौथम जिला खगडिया एम0सी0एस-जी0 13499	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

19	हुस्नबानो खातुन पति-शकील साह ग्राम-महमुदपुर पो0+थाना आन्दर जिला सीवान एम0सी0एस-ई0 96038	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	अंजनी मिश्रा पिता-जगदीश मिश्रा ग्राम-पतुत वार्ड 7 पो0-पतुत थाना-रानी तालाब जिला-पटना एम0सी0एस-जी0 11604	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	सजय कुमार सिंह पिता-स्व0 बिन्देश्वरी सिंह ग्राम-ढिबरा पोस्ट-शिकारपुर थाना-शाहपुर जिला-पटना एम0सी0एस-जी0 12621	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	मास्टर राहील पिता-बाबुल ग्राम-पतलवा टोला पो0-सुरजापुर थाना-किशनगज जिला-किशनगज एम0सी0एस-जी0 13210	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	अंकुश राज पिता-कृष्ण कुमार सिंह ग्राम-गौरी पो0-बगरा थाना-बंगरा जिला-सारण एम0सी0एस-जी0 12810	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	अम्बिका प्रसाद पिता-स्व0बैजनाथ प्रसाद ग्राम-चैनपुर मुबारकपुर पो0-चैनपुर थाना-सिसवन जिला-सीवान एम0सी0एस-जी0 5230	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	सलामुन निशा पति-स्व0 शेख सोराब ग्राम-मसा टोला पो0-बरोद पसरार्ई थाना-मुफसिल जिला-प0 चम्पारण एम0सी0एस-जी0 11504	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

26	देवन्ती देवी पति-कारु साव ग्राम-आर्य पथ मल्लहचक 15 पो0-जहानाबाद थाना+जिला जहानाबाद एम0सी0एस-जी0 11036	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	सरवरी खातुन पति-मो0 अख्तर ग्राम-बडी दरगाह पो0-बिहारशरीफ थाना-बिहारशरीफ जिला-नालदा एम0सी0एस-जी0 12847	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	उर्मिला देवी पति-धर्मदेव राय ग्राम-चादपुर पोस्ट-हसनपुर गुर्दा थाना-शाहपुर पटोरी जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-जी0 12720	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	सरिता देवी पति-सुरेश माझी ग्राम-सतानिया पो0-फतेहपुर थाना-फतेहपुर जिला गया एम0सी0एस-एफ 99761	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	शत्रुधन महतो पिता-हरिनाथ महतो ग्राम-कुशवाहा गली बली नगला माधव मिल्स मालसलामी वार्ड 70,पोस्ट-पटना सिटी थाना-मालसलामी जिला-पटना एम0सी0एस-जी0 12365	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	आयुष कुमार पिता-कृष्णा कुमार ग्राम-बिसभरपुर पोस्ट-मुसरी घरारी थाना-मुसरी घरारी जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-जी0 12322	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	मजु देवी पति-सुनील राम ग्राम-भदरी पोस्ट-नालदा थाना सिलाव जिला नालदा एम0सी0एस-जी0 10961	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

33	त्रिभुवन पाल पिता-जयनाथ पाल ग्राम-महुअवा पो0-बाजुडीह महुअवा थाना-विजयीपुर जिला गोपालगज एम0सी0एस-जी0 11746	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	सरस्वती देवी पति-लालदेव महतो ग्राम-सठवार पो0-भिष्टी थाना-गोरैया कोठी जिला सीवान एम0सी0एस-जी0 14049	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	कृष्णा शर्मा पिता-राज कुमार शर्मा ग्राम-राजनपुरा वार्ड 12 पोस्ट-राजनपुरा थाना-एम0एच0 नगर जिला-सीवान एम0सी0एस-जी0 12872	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	नजबुन खातुन पति-स्व0 इमाम हुसैन ग्राम-भडकुईया पो0-बरौली थाना बरौली जिला गोपालगज एम0सी0एस-जी0 12819	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	कुन्दन देवी पति-जितेन्द्र कुमार मडल ग्राम-महेशमुन्डा पो0-महेशमुन्डा थाना कहलगाव जिला भागलपुर एम0सी0एस-एफ 99798	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	दोमनी देवी पति-डोमन पडित ग्राम-लक्ष्मणपुर बाथ पो0-कमता थाना-परासी जिला-अरवल एम0सी0एस-जी0 11635	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
39	ज्ञान्ती देवी पति-पुरुषोत्तम ाम ग्राम-मिल बहुरी पो0-हरिनगर थाना-राम नगर जिला प0 चम्पारण एम0सी0एस-जी0 10545	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

40	मजु देवी पति-धनीपत साह ग्राम+पो0-नरगा थाना बैला जिला सीतामढी एम0सी0एस-जी0 11474	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
41	दुखनी देवी पति-मोहन राम ग्राम-सिकठी पोस्ट-अखलासपुर थाना भभुआ जिला-कैमुर भभुआ एम0सी0एस-जी0 13365	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	विजय कुमार सिंह पिता-जगतनारायण सिंह ग्राम-दुबियाही पो0-छाजन दुबियाही थाना-कुढनी जिला-मुजफ्फरपुर एम0सी0एस-जी0 12928	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	अनीता देवी पति-सत्य नारायण यादव ग्राम-बेला पो0-मनोहरपट्टी थाना-मरौना जिला-सुपौल एम0सी0एस-जी0 898	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	माला देवी पति- कपिलदेव पासवान ग्राम-मालपुर पोस्ट-गोसाई गाव थाना गोपालपुर जिला-भागलपुर एम0सी0एस-डी0 4537	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	फेकन महलदार पिता-लाडो महलदार ग्राम-सौर पो0-धनकर थाना-कहलगांव जिला-भागलपुर एम0सी0एस-जी0 13186	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
46	शकर सिंह पिता-रामदेव सिंह ग्राम+पो0-हरपुर भिण्डी थाना-ताजपुर जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-जी0 10960	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

47	बैजनाथ प्रसाद पिता-स्व० रज्जु महतो ग्राम-गंगटा पो०-छोटा शेखपुरा थाना-नरहट जिला-नवादा एम०सी०एस-जी० 9721	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
48	सोमैया खातुन पिता मो० जमील ग्राम-बाघा पो०-बाघा कुसमार थाना-खुटौना जिला-मधुबनी एम०सी०एस-जी० 14038	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
49	सन्तोष कुमार पिता-मुन्ना प्रसाद ग्राम-मीठा कुआँ, वार्ड 15 पोस्ट+थाना-पालीगज जिला-पटना एम०सी०एस-जी० 12738	कैसर रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
50	लाल मोहन राय पिता-स्व० देव नंदन राय ग्राम-मजलीशपुर पोस्ट-गोविंदपुर गोखुला थाना बिदुपुर जिला वैशाली एम०सी०एस-एफ 98636	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
51	लालतो देवी पति- जयनाथ सिंह ग्राम- हरिहरपुर पो०- पिरारीडीह थाना- डेरनी जिला- सारण एमसीएस न०- जी 13978	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			41,50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 41,50,000/- (एकतालीस लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके सरस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 002620 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरस्थान/अस्पताल के खाता स० 3601018437 खाता धारक का नाम-'महावीर कैसर इंस्टीच्युट एंड रिसर्च सेंटर (बी०जी०) रीसीप्ट, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -चितकोहरा ब्रांच, अनिसाबाद, पटना RTGS/IFSC कोड स० CBIN 0282779 मे अतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 861(14)

पटना, दिनांक

25/3/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002620 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/3/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
सहयोग अस्पताल 40,
पाटलीपुत्रा कालोनी
पटना 800013

पटना, दिनांक... ..

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.03.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	आनंद कुमार मिश्रा पिता-कैलाश मिश्रा ग्राम माला शेरपुर पोस्ट-गुरुकुल मेहिया थाना-मुफ्फसिल जिला-सारण	ब्रेन ट्यूमर	1,55,000	एक लाख पचपन हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			₹ 1,55,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,55,000/- (एक लाख पचपन हजार) का क्रास चेक सं0.....
002617.....मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0

बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः मा के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
7. स्वीकृत राषि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक

25/3/2026

ज्ञापांक

869(14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
सेंटर फार साईट ए/31
पी०सी० कोलनी कंकडबाग
बिहाईड ग्रेवीटी माल
नियर ओल्ड तिवारी बेचर
पटना 800020

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.03.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अलख चौधरी पिता-दल्लु चौधरी ग्राम-बरातपुर पोस्ट-कच्ची दरगाह थाना-दीदारगंज जिला पटना	CATARACT SURGERY	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	लक्ष्मण प्रसाद पिता-स्व० रामप्रीत सिंह ग्राम-अमरदीप नगर पो०-ढेलवां थाना-रामकृष्णा नगर जिला-पटना	CATARACT SURGERY	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	बिमला देवी पति-योगेन्द्र चौधरी ग्राम-भट्टी पर नंदगोला पो०-माधव मिल्स थाना मालसलामी जिला पटना	CATARACT SURGERY	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	मंजु देवी पति-सुरेश गोप ग्राम-बरातपुर पोस्ट-कच्ची दरगाह थाना-दीदारगंज जिला पटना	CATARACT SURGERY	10,000	दस हजार स्वीकृत।

5	बच्चु प्रसाद पिता-शिवनाथ प्रसाद ग्राम-करमालीचक पटना सिटी पो0-बेगमपुर थाना मालसलामी जिला पटना	CATARACT SURGERY	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
6	शिव पुजन सिंह पिता-श्याम बाबु ग्राम-गुलामाहिया बाग जेदुली पोस्ट-कच्ची दरगाह थाना-फतुहा जिला-पटना	CATARACT SURGERY	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
7	प्रेम चौधरी पिता-काशी चौधरी ग्राम-खंगार पर नूरुद्दीनगज पो0-माधव मिल्स थाना-मालसलामी जिला-पटना	CATARACT SURGERY	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
8	शकुन्तला देवी पति-बाबु चद्र ग्राम-मिर्ची पटना पोस्ट-कोठीया थाना-दीदारगज जिला पटना	CATARACT SURGERY	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
9	मंजु देवी पति-राज कुमार साह ग्राम-सावजी का पेट्रोल पम्प वाली गली दीदारगंज पोस्ट-पटना सिटी थाना-दीदारगंज जिला पटना	CATARACT SURGERY	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
10	वीणा देवी पति-शिवनाथ सिंह ग्राम-हनुमानचक पो0-कच्चिदरधा थाना-दीदारगंज जिला-पटना	CATARACT SURGERY	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
11	विदय कुमार पिता-राम दहिन यादव ग्राम-सिमरी शादरा रामधनी रोड पटना सिटी, पो0-माधव मिल्स थाना मालसलामी जिला पटना	CATARACT SURGERY	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
12	महा देवी पति-गनौर राय ग्राम-जफराबा टोक पो0-जफराबाद थाना राघोपुर जिला-वैशाली	CATARACT SURGERY	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

13	कुन्ती देवी पति-राम बाबु राय ग्राम-चौरासी पोस्ट-पतीला थाना-मनेर जिला पटना	CATARACT SURGERY	10,000	दस हजार स्वीकृत।
14	चन्द्रावती देवी पति-तारकेश्वर चौधरी ग्राम-रसुलपुर पोस्ट+थाना मनेर जिला पटना	CATARACT SURGERY	10,000	दस हजार स्वीकृत।
15	जाकीर नट पिता-स्व० मथुरा नट ग्राम-स्नेहिटोला पो०-नौबतपुर थाना-नौबतपुर जिला-पटना	CATARACT SURGERY	10,000	दस हजार स्वीकृत।
16	श्यामपरी देवी पति-श्याम बिहारी पासवान ग्राम-सिघारा पो०-कमला गोपालपुर थाना-मनेर जिला-पटना	CATARACT SURGERY	10,000	दस हजार स्वीकृत।
17	सितापती देवी पति-राम ईश्वर राय ग्राम-मौली नगर पोस्ट-मनेर थाना मनेर जिला-पटना	CATARACT SURGERY	10,000	दस हजार स्वीकृत।
18	उषा देवी पति-रामनाथ चौरसीया ग्राम-गौसगंज पो०-आरा चौक थाना-टाउन जिला-भोजपुर	CATARACT SURGERY	10,000	दस हजार स्वीकृत।
19	बैशाखी राय पिता-मुंशी राय ग्राम-छिहन्तर पो०-मनेर थाना-मनेर जिला पटना	CATARACT SURGERY	10,000	दस हजार स्वीकृत।
20	संझरिया देवी पति-बैशाखी राय ग्राम-छिहन्तर पो०-मनेर थाना-मनेर जिला पटना	CATARACT SURGERY	10,000	दस हजार स्वीकृत।

21	राजेन्द्र प्रसाद यादव पिता-स्व० बाल गोविन्द यादव ग्राम-गम्हरीया वार्ड 12 पो०-गम्हरीया थाना-बैजनाथपुर जिला सहरसा	CATARACT SURGERY	10,000	दस हजार स्वीकृत .
			2,10,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,10,000/- (दो लाख दस हजार) मात्र का क्रास चेक सं० 002618 मूल रूप में संलग्न ।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा ।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय ।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-


(डॉ० श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 882(14)

पटना, दिनांक 25/3/2026

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई०टी० मैनेजर स्वास्थ्य विभाग / संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान सस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक.

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.03.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शोभा रानी पति- जय प्रकाश मडल ग्राम- लक्ष्मी टोला वार्ड 09 पो०- दुर्गापुर थाना- अमदाबाद जिला- कटिहार सीआर न०- 108112300380629	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	रेखा देवी पति- दसरथ दास ग्राम- साहो वार्ड 02 पो०- साहो थाना- बिरौल जिला- दरभंगा सीआर न०- 108112401687776	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	मीरा कुमारी पति- स्व० राम दुलार पासवान ग्राम- पिपरा वार्ड 06 पो०- छौडादानो थाना- जितना जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न०- 108112300354032	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	मो० तबरेज पिता- शकूर ग्राम- कोहबरा वार्ड 12 पो०- अधाग थाना- जलालगढ़ जिला- पूर्णियाँ सीआर न०- 108112403855129	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	रमेश कामती पिता- तुलसी कामती ग्राम- कामती टोला वार्ड 26 पो0- भट्टा बाजार थाना- सहायक जिला- पूर्णियाँ सीआर न0- 108112503616393	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	उमेश राय पिता- रामचंद्र राय ग्राम- सहदुल्लापुर वार्ड 09 पो0- चंदनपट्टी थाना- सकरा जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 108112600193146	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	पूनम देवी पति- रविनाथ सोनी ग्राम- विद्याधार वार्ड 15 पो0+थाना- खगडिया जिला- खगडिया सीआर न0- 108112503001356	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	शोभाकात झा पिता- भूपेनदर झा ग्राम- बुधमा वार्ड 05 पो0- खाडा थाना- उदाकिशुनगज जिला- मधेपुरा सीआर न0- 108112600161929	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	दिनेश राम पिता- मोती लाल राम ग्राम- नरहरपुर वार्ड 13 पो0- नरहरपुर थाना- गौरा बाजार जिला- सारण सीआर न0- 108112600304266	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	सुनीता देवी पति- जीतेन्द्र कुमार यादव ग्राम- लोहडी वार्ड 06 पो0- लोहडी थाना- ईटाढी जिला- बक्सर सीआर न0- 108112600271015	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	राम लखन पंडित पिता- पलकधरी पंडित ग्राम- सिरसिया वार्ड 15 पो0- रहियार कोची थाना- शिवाजीनगर जिला- समस्तीपुर सीआर नं0- 108112600382771	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	सीता देवी पति- बट्टी यादव ग्राम- घोघसम वार्ड 02 पो0- घोघसम थाना- सिमरीबख्तियारपुर जिला- सहरसा सीआर न0- 108112502861319	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	गुडी देवी पति- सतोष ठाकुर ग्राम- चॉद चौरा नौआ टोली वार्ड 41 पो0- चॉद चौरा जिला- विष्णुपद जिला- गयाजी सीआ न0- 108112503516941	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।
14	खुशबू कुमारी पिता- भोला कुमार गाम- पसही पो0- फरिदपुर थाना- जानीपुर जिला- पटना सीआर न0- 108112600366661	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।
15	अनीता देवी पति- फुलेद्र साह ग्राम- बेहरारी वार्ड 02 पो0- बेहरारी थाना- सिहेश्वर जिला- मधेपुरा सीआ न0- 108112401974279	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	सुनीता देवी पति- राम पुकार राय ग्राम- हरिपुर घाट वार्ड 11 पो0- बिशनपुर आभी थाना- खानपुर जिला- समस्तीपुर सीआ न0- 108112600321853	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।
17	मधुमाला देवी पति- सुनील कुमार सिंह ग्राम- गजहरवा वार्ड 05 पो0- बेलाही जयराम थाना- सहियारा जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112300252027	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	शहजादी खातून पति- मो0 मुस्तफा असार ग्राम- सग्राम पो0- तुलापतगज थाना- अररिया जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112502915451	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

19	सत्य नारायण पंडित पिता- छुतहरू पंडित ग्राम- झहुरा पो0- रहरिया थाना- निर्मली जिला- सुपौल सीआर न0- 108112400154324	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	पिरो यादव पिता- अनिरुद्ध यादव ग्राम- सितुआहा पो0+थाना- सलखुआ जिला- सहरसा सीआर न0- 108112600489525	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	सकलो खातून पति- मो0 निजाम ग्राम- गुमटी टोला वार्ड 06 पो0- जरलाही थाना- कुर्सेला जिला- कटिहार सीआर न0- 108112502167439	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	बिनोद कुमार पिता- माहेश्वरी मुखिया ग्राम- बेला पो0- लौकहा थाना- सुपौल जिला- सुपौल सीआर न0- 108112600259252	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	श्यामानद सिंह पिता- परमेश्वरी सिंह ग्राम- बैरख पो0- कोसिकापुर थाना- रानीगज जिला- अररिया सीआर न0- 108112502307168	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	पूनम कुमारी पिता- श्रीनाथ महलदार ग्राम- रौतारा वार्ड 07 पो0+थाना- रौतारा जिला- कटिहार सीआर न0- 108112600125931	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	कुसुम देवी पति- मदन झा ग्राम- लक्ष्मीनिया वार्ड 10 पो0- लक्ष्मीनिया थाना- ललितग्राम जिला- सुपौल सीआर नं0- 108112600443339	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

26	सुन्दर कुमार मंडल पिता- बिसेश्वर मंडल ग्राम- कुशहा औराही हिगना पो0+थाना- सिमराहा जिला- अररिया सीआर न0- 108112600456481	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	किशुन प्रसाद पिता- शंकर साह ग्राम+पो0- परसगाढ बाजार थाना- एकमा जिला- सारण सीआर न0- 108112501056137	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	साबरा खातून पति- याकूब असारी ग्राम- पचगावा वार्ड 11 पो0- सेमरा मेड्रॉल थाना- सेमरा जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 108112600415904	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	मनोज कुमार सिंह पिता- राम प्रयाग सिंह ग्राम- दतौली वार्ड 13 पो0- हुरका थाना- इद्रपुरी जिला- रोहतास सीआर न0- 108112300875032	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	सुदामा देवी पति- कामेश्वरी मिश्रा ग्राम- जोकहॉ पो0- बेतिया डीह थाना- मनुआपुरल जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 108112600350420	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	बबीता देवी पति- कामेश्वर पासवान ग्राम- बीरपुर वार्ड 10 पो0+थाना- बीरपुर जिला- सुपौल सीआर न0- 108112402077050	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	कुता देवी पति- दीपन भगत ग्राम-कमालपुर वार्ड 01 पो0- जमालपुर थाना- लालगज जिला- वैशाली सीआर न0- 108112502562842	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

33	मजू कुमारी पति- मनोज कुमार ग्राम- भडाजोर वार्ड 03 पो0- कोशी थाना- रोह जिला- नवादा सीआर न0- 108112600088512	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	मो0 नूर कोशर पिता- मो0 हनीफ ग्राम- जोरगज पो0- एकरहा थाना- जानकी नगर जिला- पूर्णियाँ सीआर न0- 108112600000313	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	आलम उदीन पिता- हकीमोद्दीन ग्राम- चैनपुर कटहलबाडी वार्ड 02 पो0- निशन्द्रा थाना- बिशनपुर जिला- किशनगज सीआर न0- 108112500367015	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	पारो देवी पति- दहो साहू ग्राम- सोहमा वार्ड 10 पो0- सोहमा थाना- बिथान जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112600287370	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	राज कुमार साह पिता- स्व0 श्याम शरण साह ग्राम- जानकी प्रसाद लेन मुदीचक वार्ड 36 पो0- बडी पोस्ट ऑफिस थाना- तिलकामाझी जिला- भागलपुर सीआर न0- 108112600227822	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	फुलपती देवी पति- हरिनारायण साह ग्राम- भिठी सहाबुद्दीन वार्ड 11 पो0- भिठी सहाबुद्दीन थाना- बनियापुर जिला- सारण सीआर न0- 108112503637528	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
39	जितेन्द्र माझी पिता- जमुना मांझी ग्राम- जोलह बीघा पो0- आइमा चौकी थाना- खिजरसराय जिला- गयाजी सीआर न0- 108112401185461	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

40	सुरेश चौधरी पिता- रामओध्या चौधरी ग्राम- बलुआ वार्ड 10 पो0- सिधव थाना- लौकरिया जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर नं0- 108112600263926	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
41	मो0 क्यूम पिता- मो0 नजीब ग्राम- गम्हरिया वार्ड 08 पो0+थाना- गम्हरिया जिला- मधेपुरा सीआर न0- 108112300210332	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	सत्यनारायण प्रसाद पिता- ठाकुरनंदन ग्राम- महुआ मुकुदपुर पो0+थाना- महुआ जिला- वैशाली सीआर न0- 108112600107258	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	झुनकी देवी पति- योगेद्र दास ग्राम- पाटम वार्ड 10 पो0- पाटम थाना- नयारामनगर जिला- मुगेर सीआर न0- 108112300626318	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	प्रभु साह पिता- किशुन साह ग्राम+पो0- ठाहर थाना- रून्नीसैदपुर जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112301189051	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	इद्राशन देवी पति- चद्रकात राय ग्राम- नेयाम वार्ड 11 पो0+थाना- हायाघाट जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112600105042	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
46	मानकी देवी पति- दिलीप ठाकुर ग्राम- फिगी वार्ड 13 पो0+थाना- बिहिया जिला- भोजपुर सीआर न0- 108112300533492	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
47	अभी कुमार पिता- मिथिलेश कुमार सिंह ग्राम- देरहगाव वार्ड 05 पो0- देरहगाव थाना- दावत जिला- रोहतास सीआर नं0- 108112501233896	कोकलियर इम्प्लान्ट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत।

48	मो० युसूफ पिता- मो० समसुद्दीन ग्राम+पो०- दीयामां थाना- कृष्णब्रह्म जिला- बक्सर सीआर नं०- 108112501978417	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
49	रूपकला देवी पति- अशोक यादव ग्राम- सिमराहा वार्ड 07 पो०- चिगरी थाना- कुशेश्वरस्थान जिला- दरभंगा सीआर न०- 108112600441336	हृदय रोग पेसमेकर	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
50	रविन्द्र साह पिता- इबुलाल साह ग्राम- बैरिया डीह थाना- हरसिद्धी जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न०- 108112503192003	ब्रेन ट्यूमर/स र्जरी	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
51	रजू देवी पति- रविंद्र यादव ग्राम- तेलियाडीह वार्ड 02 पो०- तेलियाडीह थाना- लक्ष्मीपुर जिला- जमुई सीआर न०- 108112600106359	टोटल नी रिप्लेसमेंट (लेफ्ट)	1,35,000	एक लाख पैतीस हजार स्वीकृत।
52	नवाज अशरफ पिता- फजल हक ग्राम- बीथो शरीफ वार्ड 12 पो०- बीथो शरीफ थाना- चाकन्द जिला- गयाजी सीआर न०- 108112500648626	हृदय रोग बीएमवी	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
53	राजेन्द्र प्रसाद पिता- स्व० मेवा यादव ग्राम- समसपुर वार्ड 04 पो०+थाना काको जिला- जहानाबाद सीआर न०- 108112600119884	Catatact sutgery+I njection	15,000	पन्द्रह हजार स्वीकृत।
54	अजू राय पति- सुरेद्र कुमार राय ग्राम- अभिमन्यु नगर पो०- दानापुर कैट थाना- रूपसपुर जिला- पटना सीआर न०- 108112600232354	Catatact sutgery+I njection	15,000	पन्द्रह हजार स्वीकृत।

55	रानी देवी पिता- शकर साह ग्राम- कोल्हुअरवा वार्ड 18 पो0- मोतिहारी थाना- टाउन जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112401875670	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
56	सुनीता देवी पति- सोनू प्रसाद ग्राम- लालजी टोला वार्ड 36 पो0- जी0पी0ओ0 थाना- गांधी मैदान जिला- पटना सीआर नं0- 108112503539224	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
57	शांति देवी पति- अशोक कुमार रजक ग्राम- अनायपर वार्ड 10 पो0- बेलार थाना- काशीचक जिला- नवादा सीआर न0- 108112500496621	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
58	ज्ञाती देवी पति- कामेश्वर साह ग्राम- नवादा वार्ड 07 पो0- चैनपुर थाना- सिसवन जिला- सिवान सीआर न0- 108112502841938	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
59	अनिकेत कुमार पिता- नर्मदेश्वर मिश्रा ग्राम+पो0- श्यामदास बगही थाना- कटेया जिला- गोपालगज सीआर न0- 108112403426546	PC-NL	30,000	तीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
60	राहुल कुमार पोद्दार पिता- राजेश कुमार पोद्दार ग्राम- एम जी रोड अमला टोला पो0- कटिहार थाना- नगर जिला- कटिहार सीआर न0- 108112600184180	Post Kidney Transplan t	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
61	मालती देवी मिस्त्री पति- रामजी मिस्त्री ग्राम+पो0- दोईया थाना- नूरसराय जिला- नालदा सीआर न0- 108112502605037	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

62	अनीता देवी पति- शशि भूषण तिवारी ग्राम- बेलवा वार्ड 01 पो0- महुई थाना- रामनगर जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 108112501656916	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
63	माणिक राज देवी पति- स्व0 विश्वनाथ साह ग्राम- साहु कॉलोनी वेस्ट ऑफ आर एन कॉलेज वार्ड 32 पो0+थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली सीआर न0- 108112500378103	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
64	अमला देवी पति- सीताराम तांती ग्राम- बीरपुर वार्ड 07 पो0- हसनपुर शुगर मिल्स थाना- हसनपुर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112402555334	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
65	बिपिन कुमार पिता- रामानुग्रह सिंह ग्राम+पो0- रामपुर डुमरा थाना- मरौंची जिला- पटना सीआर न0- 108112600205187	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
66	नारायण प्रसाद केसरी पिता- भोला केसरी ग्राम+पो0- चौगाई थाना- मुरार जिला- बक्सर सीआर न0- 108112502728333	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
67	सुधा देवी पति- रामलखन रजक ग्राम- बेलही पो0- चिलौनी उत्तर थाना- प्रतापगज जिला- सुपौल सीआर नं0- 108112300522946	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
68	मुल्की देवी पति- बेचन मुखिया ग्राम- पहाडपुर वार्ड 11 पो0- केदली थान- नवहट्टा जिला- सहरसा सीआर न0- 108112600378564	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

69	निजामउद्दीन पिता- रजी अहमद ग्राम-पो0- हरपुर अलौथ थाना- मुसरीघरारी जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112500865333	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
70	सजू देवी पति- नितेश कुमार ग्राम- झरना सरेन वार्ड 09 पो0- झरना सरेन थाना- अतरी जिला- गयाजी सीआर नं0- 108112600482709	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
71	कोसरी खातून पति- मो0 बिलाल ग्राम- बलवा टोली पो0- हाफनैन थाना- अमौर जिला- पूर्णियाँ सीआर नं0- 108112600140123	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
72	रेखा देवी पति- भागीरथ राम ग्राम- बसतपुर वा र्ड 05 पो0- जैतपुर थाना- पारू जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 108112600005854	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
73	मो0 अली हुसैन पिता- छककन मिया ग्राम- बिशनपुर पो0- लाउड थाना- सुपौल जिला- सुपौल सीआर न0- 108112600489207	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
74	अशोक साव पिता- राजेन्द्र साव ग्राम- नवदियारी वार्ड 08 पो0- पानापुर थाना- दानापुर जिला- पटना सीआर न0- 108112600081933	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
75	भोला दास पिता- गोपी दास ग्राम- देवकुमली धाम वार्ड 04 पो0- देवकुली धाम थाना- बिरौल जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112600017798	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

76	शैल देवी पति- राम सूरत राय ग्राम+पो0- गुण्डी थाना- कृष्णागढ जिला- भोजपुर सीआर न0- 108112600045881	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
77	विद्यानन्द गोपाल ठाकुर पिता- गोपाल ठाकुर ग्राम+पो0- कालाबलुआ थाना- रानीगज जिला- अररिया सीआर न0- 108112600126643	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
78	उमेश कात तिवारी पिता- बृजनदन तिवारी ग्राम+पो0- अनाईठ थाना- आरा जिला- भोजपुर सीआर न0- 108112402098685	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
79	पूनम देवी पति- मुकेश पाडेय ग्राम- चौरमा वार्ड 08 पो0- सिरहारी थाना- इस्लामपुर जिला- नालदा सीआर नं0- 108112600266437	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
80	गुगली राम पिता- अभिनन्दन राम ग्राम- मलिया वार्ड 08 पो0- मलिया थाना- मधेपुरा जिला- मधेपुरा सीआर न0- 108112600299700	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
81	अर्जुन कुमार पिता- लक्ष्मण साव ग्राम- शाहपुर देवी चौरा वार्ड 05 पो0- दानापुर कैट थाना- शाहपुर जिला- पटना सीआर न0- 108112503516933	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
82	रेनु वर्मा पति- जितेन्द्र प्रसाद ग्राम- इद्रा नगर वार्ड 14 पो0+थाना- शेरगटी जिला- गयाजी सीआर न0- 108112600052283	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

83	रामबाबू पासवान पिता- भिखारी राम ग्राम- बिशुनपुरा वार्ड 07 पो0- रामदिहरा थाना- अमझोर जिला- रोहतास सीआर न0- 108112600570896	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
84	साधना देवी पति- नरेद्र शर्मा ग्राम- ताराधी वार्ड 01 पो0- बेला थाना- नौबतपुर जिला- पटना सीआर न0- 108112600159479	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
85	सुरेश कुमार पिता- सदानन्द यादव ग्राम- हिरोलवा पो0+थाना- शंकरपुर जिला- मधेपुरा सीआर न0- 108112500073496	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
86	इदु देवी पति- स्व0 भागीरथी सिंह ग्राम- हरदोपट्टी पो0- फरीदपुर थाना- आन्दर जिला- सिवान सीआर न0- 108112300655890	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
87	पकज कुमार यादव पिता- सुरेद्र यादव ग्राम- गावलगाव वार्ड 11 पो0+थाना- बायसी जिला- पूर्णियाँ सीआर न0- 108112600072861	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
88	परशुराम प्रसाद पिता- टेनी दास ग्राम- सिसौनी पो0- मोकामाघाट थाना- मोकामा जिला- पटना सीआर न0- 108112503689803	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
89	शकर कुमार पिता- बसत लाल यादव ग्राम- नगर परिषद वार्ड 05 पो0+थाना- सुपौल जिला- सुपौल सीआर न0- 108112600332448	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

90	टूना देवी पति- कपलदेव राय ग्राम- दक्षिणी धमौन वार्ड 10 पो0- धमौन थाना- शाहपुर पटोरी जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112500084072	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
91	रिशु कुमार पिता- गोपाल कुमार सिंह ग्राम- गनेली वार्ड 06 पो0- माधोडीह थाना- हरपुर जिला- मुंगेर सीआर न0- 108112503410604	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
92	चूल्हाई सिंह पिता- फेकू सिंह ग्राम- अन्हारी वार्ड 09 पो0- अन्हारी थाना- रीगा जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112600024581	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
93	गीता देवी पति- कारी पासवान ग्राम- बीहट वार्ड 16 पो0- बीहट थाना- बरौनी जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112301212797	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
94	सीमा देवी पति- विनोद राय ग्राम- सबलपुर नेवल टोला वार्ड 07 पो0+थाना- सोनपुर जिला- सारण सीआर नं0- 108112502462627	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
95	आदित्य कुमार पिता- अनिल यादव ग्राम- हसुआ एकलाम वार्ड 04 पो0- हसुआ थाना- नौतन जिला- सिवान सीआर न0- 108112501772321	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
96	कुंती देवी पति- अम्बिका प्रसाद ग्राम- मठ भगवानपुर वार्ड 04 पो0+थाना- मखदुमपुर जिला- जहानाबाद सीआर न0- 108112600178139	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

97	प्रियका कुमारी पिता- ओमप्रकाश यादव ग्राम- खण्धरा पो0- दुल्लहपुर थाना- सिमरी जिला- बक्सर सीआर न0- 108112503035528	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
98	उमेश चद्र पटेल पिता- स्व0 राम पुकार पटेल ग्राम- सीता चौक बागमी हनुमान मदिर पो0+थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली सीआर न0- 108112600483344	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
99	अब्दुल हमीद पिता- अबुल कासीम ग्राम- बॉसगडा वार्ड 15 पो0- बॉसगडा थाना- बरारी जिला- कटिहार सीआर न0- 108112600281088	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
100	मो0 अलउद्दीन कुरैशी पिता- मो0 खलील कुरैशी ग्राम- सादपुरा जामा मस्जिद वार्ड 33 पो0- रमना थाना- काजी मोहम्मदपुर जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 108112403083754	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
101	राजदेव साह पिता- तपेश्वर साह ग्राम- सुरखीकल तिलकामाड़ी वार्ड 26 पो0- बडी खजरपुर थाना- बरारी जिला- भागलपुर सीआर न0- 108112400716420	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
102	नुसरत परवीन पति- मो0 शहबउद्दीन ग्राम- करीमगज पो0- गया थाना- सिविल लाइन जिला- गयाजी सीआर नं0- 108112300117898	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
103	प्रेम साह पिता- रामजी साह ग्राम- बटराहा पो0+थाना- सहरसा जिला- सहरसा सीआर न0- 108112503033070	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

104	लक्ष्मीना देवी पति- रघुवीर साह ग्राम- लुल्हा धनाव वार्ड 04 पो0- धनाव थाना- बनियापुर जिला- सारण सीआर न0- 108112502492372	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
105	मो0 साबा हुसैन पिता- मो0 शमीम कातिब ग्राम- मोहल्ला छज्जू वार्ड 13 पो0+थाना- बिहारशरीफ जिला- नालदा सीआर नं0- 108112600396659	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
106	कसीना खातून पति- मो0 दिसाद ग्राम- बरमोतरा वार्ड 01 पो0- लछमिनिया थाना- बलुआ जिला- सुपौल सीआर न0- 108112600454381	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
107	रुदल सहनी पिता- स्व0 रघुनन्दन सहनी ग्राम+पो0- चदौली थाना- उजियारपुर जिला- समस्तीपुर सीआर नं0- 108112502313494	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
108	लाल मोहन शर्मा पिता- कलर शर्मा ग्राम+पो0- मुरादपुर थाना- नवहट्टा जिला- सहरसा सीआर न0- 108112501586039	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
109	सुनीता देवी पति- रामपति पासवान ग्राम- सरावे पो0+थाना- खजौली जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112600506535	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
110	श्रवण साह पिता- उद्धव साह ग्राम- साखमोहन वार्ड 08 पो0- साखमोहन थाना- बिभूतिपुर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112503032022	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

111	जहिर पिता- कलीमुद्दीन ग्राम- पिपरा वार्ड 06 पो0- कन्हरिया थाना- डगरुआ जिला- पूर्णिया सीआर न0- 108112600181873	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
112	रेणु देवी पति- सुनील कुमार ग्राम- मझौवा वार्ड 11 पो0- कटैया थाना- सिहेश्वर जिला- मधेपुरा सीआर न0- 108112501196087	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
113	विनोद यादव पिता- मिश्री यादव ग्राम- नयापट्टी बिस्टोरिया पो0- बिस्टोरिया थाना- रानीगंज जिला- अररिया सीआर न0- 108112600262326	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
114	अनीता दास पति- पकज कुमार ग्राम- गोला रोड वार्ड 37 पो0- दानापुर कैट थाना- रूपसपुर जिला- पटना सीआर न0- 108112500634811	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
115	मनोज शर्मा पिता- महेद्र शर्मा ग्राम+पो0- जनकपुर थाना- उजियारपुर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112600199501	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
116	लालमति देवी पति- नरेन्द्र प्रसाद ग्राम- बाला वार्ड 06 पो0- किशुनपुरा थाना- लकडी नवीगज जिला- सिवान सीआर न0- 108112502972200	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
117	प्रियका कुमारी पिता- शकर मडल ग्राम- नदनपुर वार्ड 04 पो0- मिर्जापुर थाना- बोसी जिला- अररिया सीआर न0- 108112503565608	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

118	जैतून निशा पति- उस्मान ग्राम- इजरहटा पो0- लहटा थाना- मनगाछी जिला- दरभंगा सीआर नं0- 108112503486996	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
119	सबीना प्रवीण पति- मो0 इम्तियाज ग्राम- लकडी ताल पठान टोली वार्ड 52 पो0- गुलजारबाग थाना- आलमगज जिला- पटना सीआर नं0- 108112503052546	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
120	अजिम पिता- अब्दुल रज्जाक ग्राम- नया मोहल्ला हिलसा वार्ड 12 पो0+थाना- हिलसा जिला- नालंदा सीआर न0- 108112600420860	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
121	तनूजा कुमारी पिता- प्रभाकर कुमार सिंह ग्राम- तरबन्ना वार्ड 16 पो0- पचवीर थाना- साहेबपुर कमाल जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112300141705	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
122	खुशबू कुमारी पिता- अभिनव कुमार ग्राम- कोशलीपट्टी वार्ड 15 पो0- कोशलीपट्टी थाना- पिपरा जिला- सुपौल सीआर न0- 108112300515435	ट्यूमर/कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
123	सुनीता देवी पति- शिवशकर सिंह ग्राम- ठेरा वार्ड 10 पो0- जलालपुर थाना- बारसलीगज जिला- नवादा सीआर न0- 108112502540512	हृदय रोग एवीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
124	मोख्तार पडित पिता- जलेश्वर पडित ग्राम- हरिहरपुर पो0- बेला थाना- दरियापुर जिला- सारण सीआर न0- 108112600497077	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

125	धर्मशीला देवी पति- भीम प्रसाद ग्राम- ठकुरी पो0- बनौली खुर्द थाना- पालीगज जिला- पटना सीआर न0- 108112600597468	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
126	सुनील यादव पिता- देवनदन यादव ग्राम- खैरा वार्ड 10 पो0- डिहरी थाना- नौबतपुर जिला- पटना सीआर न0- 108112502010327	Cataract Surgery+ injection	15,000	पन्द्रह हजार स्वीकृत।
127	अरविन्द शर्मा पिता- राजेंद्र शर्मा ग्राम- मथुरापुर कॉलोनी पो0+थाना- डालमियानगर जिला- रोहतास सीआर न0- 108112502952942	Cataract Surgery+ injection	15,000	पन्द्रह हजार स्वीकृत।
128	बसंत कुमार पिता- विजय शंकर प्रसाद ग्राम- महाराजगंज वार्ड 19 पो0+थाना- जमुई जिला- जमुई सीआर न0- 108112502197796	Cataract Surgery+ injection	15,000	पन्द्रह हजार स्वीकृत।
129	उमाशंकर प्रसाद पिता- स्व0 ललन प्रसाद ग्राम- निघवा वार्ड 08 पो0- निघवा थाना- कुर्था जिला- अरवल सीआर न0- 108112502030361	Cataract Surgery+ injection	15,000	पन्द्रह हजार स्वीकृत।
130	अशवनी कुमार पंडित पिता- दिनेश पंडित ग्राम- हरख पकरी पो0- सतजोरा थाना- पानापुर जिला- सारण सीआर न0- 108112400018510	ACL Tear	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
131	अनुज कुमार पिता- चन्दन शाह ग्राम- कोहडगर पो0- रतनमाला थाना- मझौलिया जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 108112600409475	कोकलियर इम्प्लाट	4,50,000	चार लाख पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।

132	शाहजहा खातून पति- बदरुद्दीन असाही ग्राम- फुर्सतपुर पो- सूतिहार थाना- डेरनी जिला- सारण सीआर न0- 108112403761566	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
133	पूर्णिमा देवी पति- रिझान सिंह ग्राम- 103 हार्डी एस्टेट बैंक रोड पो जी पी ओ थाना- गॉधी मैदान जिला- पटना सीआर न0- 108112400976197	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			1,08,55,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,08,55,000/- (एक करोड़ आठ लाख पचपन हजार) के भुगतान के लिए आपके सरथान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता संख्या- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002620 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरथान/अस्पताल के खाता सं0-503 2011 9556 खाता धारक का नाम- "निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-इंडियन बैंक, शाखा का नाम-आई0जी0आई0एम0एस0, शेखपुरा पटना, 800014 RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000i507 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।

8. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 862(14)

पटना, दिनांक 25/3/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002620 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/3/26
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डा० (श्रीमती) रेखा झा,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,

फुलवारीशरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक... ..

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.03.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	पूनम देवी पति- कृष्णा कांत दुबे ग्राम- पाण्डेयपुर पो०- निमेज थाना- ब्रह्मपुर जिला- बक्सर	बोध नी रिप्लेसमेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
2	महेद्र प्रसाद पिता- राम नदन प्रसाद ग्राम- आदर्श कॉलोनी वार्ड 70 पो०- पटना सिटी थाना- मालसलामी जिला-पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	ओकार पासवान पिता- बासुदेव पासवान ग्राम+पो०- केवल थाना- चन्द्रमडीह जिला- जमुई	स्पाईन सर्जरी	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
4	शिवानी कुमारी पिता- उमेश प्रसाद ग्राम- बासोबागी पो०- बाढ आर० एस० थाना- बाढ जिला- पटना	ट्रामा	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			5,30,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,30,000/- (पाँच लाख तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता स०

30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002620... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 579310110008985 खाता धारक का नाम—Patient Care Fund 'एम्स, पटना' खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम —एम्स, पटना, फुलवारीशरीफ, पटना, बिहार, 801507 RTGS/IFSC कोड सं0 BKID 0005793 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 863(14)

पटना, दिनांक 25/3/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 002620... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई0 टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0सं0-14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

राजेश्वर अस्पताल,
नीयर बहादुरपुर फलाई ओवर,
कंकडबाग, पटना-800020

पटना, दिनांक ..

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.03.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रजीत कुमार पिता- बैजनाथ सिंह ग्राम- पडित बिगहा वार्ड 12 पो0- बेधेता थाना- परसबिगहा जिला- जहानाबाद	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	लिली कुमारी पति- राजीव कुमार ग्राम- तुलसी मडी पो0- गुलजारबाग थाना- आलमगंज जिला- पटना	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			₹ 1,80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,80,000/- (एक लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002620.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 1499002109000623 खाता धारक का नाम-"राजेश्वर अस्पताल" खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- पंजाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम कंकडबाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 PUNBO 149900 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अर्हता प्राप्त लाभियों को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

864(14)

पटना, दिनांक

25/3/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002620... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/3/26
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
पारस एच०एम०आर आई० अस्पताल,
राजाबाजार,
पटना- 800014

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.03.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	लालबाबु राम पिता- खेदु राम ग्राम- गौरिया पो०- फुलवार थाना- बंजरिया जिला- पूर्वी चम्पारण यूएचआईडी नं०- 3000617117	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
2	रमेश राय पिता- रामस्वार्थ राय ग्राम- गोरीगामा पो०+थाना- महुआ जिला- वैशाली यूएचआईडी नं०- 3000622615	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	सतौष कुमार पिता- गोपाल साह ग्राम- जफराबाद डीह पो०- जफराबाद थाना- राघोपुर जिला- वैशाली यूएचआईडी नं०- 3000621100	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
4	दिलीप यादव पिता- कारे लाल यादव ग्राम- दीनदयालपुर वार्ड 01 पो०+थाना- कुमैठा जिला- भागलपुर यूएचआईडी नं०- 3000595364	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
5	मनी रंजन कुमार सिन्हा पिता- नरेन्द्र कुमार सिन्हा ग्राम- चौधरियाना खारा कुआँ वार्ड 09 पो०- आरा थाना- आरा नगर जिला- भोजपुर यूएचआईडी नं०- 3000499662	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

6	रहमत मियां पिता- इस्लाम मिया ग्राम- एराजी टिकुलिया पो0- पररिया थाना- पहाडपुर जिला- पूर्वी चम्पारण यूएचआईडी न0- 3000625500	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
7	राजीव नयन सिंह पिता- सियाशरण सिंह ग्राम- पारसवान वार्ड 02 पो0- धरमशाला थाना- परैया जिला- गयाजी यूएचआईडी न0- 3000626451	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
8	रामप्रीत महतो पिता- हीतन महतो ग्राम- नियामत नगर वार्ड 14 पो0- धरहरा थाना- सिलाव जिला- नालंदा यूएचआईडी न0- 3000626471	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
9	सुमाइरा नाज पिता- मो0 मुमताज ग्राम- कुसमार वार्ड 03 पो0- बाघा कुसमार थाना- खुटौना जिला- मधुबनी रजि न0- 3000603235	कोकलियर इम्प्लांट	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत। (यह चिकित्सा कम दर पर एम्स, पटना एवं आईजीआईएमएस, पटना में उपलब्ध है।)
10	सलमा खातून पिता- मो0 प्रवेज आलम ग्राम- कुसमार वार्ड 03 पो0- बाघा कुसमार थाना- खुटौना जिला- मधुबनी रजि न0- 3000603236	कोकलियर इम्प्लांट	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत। (यह चिकित्सा कम दर पर एम्स, पटना एवं आईजीआईएमएस, पटना में उपलब्ध है।)
11	रशीदा गादली पति- जोहर गादली ग्राम- बोहरा मस्जिद कम्प्लेक्स पो0- जी0पी0ओ0 थाना- गांधी मैदान जिला- पटना यूएचआईडी न0- 3000599651	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
12	विद्यानन्द पिता- धरम देव ग्राम- मगलपुर वार्ड 07 पो0- पटनी थाना- रामगढवा जिला- पूर्वी चम्पारण रजि न0- 3000624470	Acute Necrotizing Pancreatitis (Biliary)	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

13	महेन्द्र प्रसाद सिंह पिता-स्व० सुदामा सिंह ग्राम-नई मैनापुरा खरंजा रोड पो०-दानापुर कैट थाना-दानापुर जिला-पटना रजिन०-3000511568	किडनी रोग सीकेडी	45,000	पैतालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			12,05,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 12,05,000/- (बारह लाख पाँच हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002620 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 1649826000011 खाता धारक का नाम-पारस एचएमआरआई अस्पताल, ए यूनिट आफ पारस एचपी०एल०, खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम-एच०डी०एफ०सी० बैंक लि०, शाखा का नाम-AMBITION SAPHIRE BESIDES RELIANCE TRENDS RAJA BAZAR BAILEY ROAD PATNA BIHAR-800014, RTGS/IFSC कोड सं०- HDFC0001649 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
5. मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।
6. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
8. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
9. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 865(14)

पटना, दिनांक 25/3/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002620 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
CISRO Hospital,
सगुना मोड, दानापुर,
पटना 801503

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 18.03.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नवनीत कुमार गिता-महेन्द्र कुमार सिंह ग्राम-सोनी पो०-करगहर थाना-करगहर जिला-रोहतास	ट्रामा	75,000	पचहतर हजार स्वीकृत।
			75,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 75,000/- (पचहतर हजार) रू० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002620 ...द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स०-39196290026 खाता धारक का नाम-KUMAR AND SARRAF HEALTH CARE PRIVATE LTD खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-एस०बी०आई० ग्रांड उड पलौर ओजन प्लाजा नीयर आर०पीएस० मोड बेली रोड, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0011675 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी

बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 866(14)

पटना, दिनांक 25/3/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002620 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सबधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


25/3/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
सर्गाफ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी
सेन्टर नीयर डी०एम०सी०एच० लहेरिया सराय
दरभंगा-846003

पटना, दिनांक.

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 18.03.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रामचंद्र सिंह पिता- द्वारिका प्रसाद सिंह ग्राम- छातापुर पो०- भुरोरी थाना- आंध्रामठ जिला- मधुबनी	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
2	गुलशन खातून पति- मुसतकीम ग्राम- बसहा पो०- बरहारा थाना- बाबुबरही जिला- मधुबनी	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
3	ललन कुमार महतो पिता- रामावतार महतो ग्राम+पो०- पचही थाना- मादेपुर जिला- मधुबनी	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
4	राम भगत यादव पिता- भोला यादव ग्राम+पो०- बघरा थाना- सिमरी बाजार जिला- दरभंगा	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
5	अनिरुद्ध भगत पिता- जीवछ राउत ग्राम+पो०- बसहुहा थाना- बहेडा जिला- दरभंगा	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
			₹ 6,25,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,25,000/- (छः लाख पच्चीस हजार) रू० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स० 30121380424 एस०

बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-38022630797 खाता धारक का नाम-सर्राफ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी सेंटर खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-डी0एम0सी0 कैम्पस दरभंगा, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0003025 मे अतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- 6 पूर्व की शेष/अनप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 25/3/2026

ज्ञापांक 867(14)

प्रतिलिपि-- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 002620 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0सं0-14/एम 11-01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
रूबन मेमोरियल अस्पताल,
19 पाटलीपुत्रा कालोनी,
नियर पाटलीपुत्रा गोलम्बर,
पटना-800013

पटना, दिनाक... ..

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.03.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है -

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नवीन कुमार पिता- कामेश्वर सिंह ग्राम+पो0- रसीदपुर थाना- गरखा जिला- सारण	PCNL+DJ Stenting	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	रेखा सिंह पति- मनीष कुमार सिंह ग्राम- मोहनपुर वार्ड 03 पो0- मोहनपुर थाना- काराकाट जिला- रोहतास	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	रितेश कुमार पिता-स्व0 त्रिभुवन प्रसाद ग्राम-शाह टोली गोला रोड राम जानकी मंदिर पटना पोस्ट-दानापुर थाना- दानापुर जिला- पटना	ब्रेन स्टोक	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
			2,00,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹, 2,00,000/- (दो लाख) रू० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0-30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 002620 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-32881734032 खाता

धारक का नाम Ruban Patliputra Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- State Bank of India शाखा का नाम -एस0एम0ई0 ब्रांच, डाकबगला रोड, पटना-800001 RTGS/IFSC कोड स0 SBIN0001513 में अतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा। प्राक्कलन CGHS के दर पर ही निर्गत किया जाय।
- 4 यदि स्वीकृतादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 868(14)

पटना, दिनाक 25/3/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलक स0 002620 ...की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे)/सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
24/3/26

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक/अधीक्षक,
फोर्ड अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०,
रामकृष्णा नगर, पटना- 800027

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.03.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राज लक्ष्मी सिंह पति- संजीव शरद ग्राम- लखीपुर कोली पो०- फतेहपुर थाना- गौरीचक जिला- पटना	हृदय रोग बीएमवी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
2	विजय कुमार गुप्ता पिता- स्व० गुलाब चंद्र साव ग्राम+पो०- कर्मनाशा थाना- दुर्गावती जिला- कैमूर भभुआ	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	शक्ति कुमार सिंह पिता- बलराम सिंह ग्राम- खेतिला पो०- तेतर थाना- अतरी जिला- गयाजी	SEPS + EVLA	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	राम प्यारी देवी पति- राम नंदन प्रसाद ग्राम- रामटोला औंटा पो०+थाना- हथिदह जिला- पटना	CBD Stone	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
5	सुनील कुमार पिता- स्व० गुरु प्रसाद लाल ग्राम+पो०+थाना- गोविन्दपुर जिला- नवादा	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।

6	शामकुल देवी पति- जगदीप प्रसाद ग्राम- गजेद्र बीगहा पो0- भोकिला थाना- हिलसा जिला- नालंदा	Surgery (VH+PFR)	50,000	पचास हजार स्वीकृत विशेष परिस्थिति में।
7	शिव कुमार श्रीवास्तव पिता- नील मणि श्रीवास्तव ग्राम- अहिमानपट्टी पो0- इसमेला थाना- दिघवारा जिला- सारण	हृदय रोग सीएबीजी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			5,75,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹0 5,75,000/- (पाँच लाख पचहत्तर हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 002620 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा0 लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0009005 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6.

पूर्व की शेष/अनप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।

7.

आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

जापांक - 870 (14)

पटना, दिनांक - 25/3/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक स0.002620...की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
24/3/26

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक,

डा० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
आस्था लोक हॉस्पिटल,
प्रोफेसर कालोनी, नीयर केन्द्रीय विद्यालय,
ककडबाग, पटना 20

पटना, दिनांक. . . .

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.03.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है—

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	दौलत देवी पति— नागेद्र सिंह ग्राम— चौद पूरा सैदाबाद पो०— मोहनपुर थाना— बिदुपुर जिला— वैशाली	ट्रामा	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
2	महेद्र कुमार सिंह पिता— केदारनाथ सिंह ग्राम— जोरारपुर पो०— पचौरी थाना— दीपनगर जिला— नालदा	टोटल हीप रिफ्लेसमेट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
3	काजल कुमारी पति— दीपक कुमार ग्राम— सिमरवारा दुर्गापुर पो०— सिमरवारा थाना— पातेपुर जिला— वैशाली	ट्रामा	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			3,05,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,05,000/- (तीन लाख पाँच हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०— 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002620 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50200006844472 खाता धारक का नाम—“आस्था लोक अस्पताल एड रिसर्च सेटर प्रा० लि०”खाते का प्रकार—चालू बैंक का नाम— एच० डी० एफ०

सी0 बैंक, शाखा का नाम पत्रकार नगर, पटना, RTGS/IFSC कोड स0- HDFC0000477 मे अतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख


ज्ञापाक 871 (14)

पटना, दिनाक

25/3/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलगन चेक स0 0.0.262.0 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


24/3/26
निदेशक प्रमुख



सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
सवेरा कैंसर एंड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
जीसी 5/जीसी 6,
डा० आरएन सिंह रोड, लौहिया नगर,
कंकड़बाग पटना-20

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.03.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्र.नांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मुरारी कुमार सिंह पिता- स्व० राजेंद्र सिंह ग्राम- बरियारपुर पो०- रहतपुर थाना- बलिया जिला- बेगूसराय	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	कुमार सौरभ पिता- कमल किशोर प्रसाद श्रीवास्तव ग्राम- शांति विहार छेडी टोला पो०- मुबारकपुर थाना- फुलवारीशरीफ जिला- पटना	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,80,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,80,000/- (एक लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002620 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 440720110000498 खाता धारक का नाम- Savera Cancer & Multispeciality Hospital खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- राजेन्द्र नगर कोलनी, पटना RTGS/IFSC कोड सं० BKID0004407 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 872(14)

पटना, दिनांक 25/3/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002620की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई० टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
25/3/26

स० सं० 14/एम 11-01 /2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
बुद्धा कैसर सेंटर,
नहर रोड, लेफ्ट 2 नहर चौक,
रूपसपुर, बेली रोड
पटना-801503

पटना, दिनांक.....

विषय.- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.03.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है-

क्रमांक	मरीज का नाम/ पता निबंधन संख्या	रोग	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रंजू देवी पति- रजीत महतो ग्राम- कारख पो०- साखमोहन थाना- बिभूतिपुर जिला- समस्तीपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	संतोष कुमार पिता- विश्वनाथ प्रसाद ग्राम- धरमगज वार्ड 28 पो०+थाना- किशनगंज जिला- किशनगज	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	धीरेन्द्र सिंह पिता- स्व० महत सिंह ग्राम- कदवा प्रताप नगर पो०- कदवा दियारा थाना- नवगछिया जिला- भागलपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	रामवती देवी पति- फतिगन राम ग्राम- डोमन डिहरा पो०- खननीकलौं थाना- अगिआव बाजार जिला- भोजपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	नैजाबत हुसैन पिता- लियाकत हुसैन ग्राम- पैठान टोली वार्ड 30 पो0+थाना- सासाराम जिला- रोहतास	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
6	तारामुनी देवी पति- दशरथ राम ग्राम- लाभुआनी वार्ड 11 पो0- बनकट थाना- अगिआव जिला- भोजपुर	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	सुजीत पासवान पिता- रामदहिन पासवान ग्राम- पिताम्बरपुर वार्ड 01 पो0- डुमरी थाना- फतुआ जिला- पटना	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	गौरी कुमारी पिता- रजीत कुमार ग्राम- मिसी वार्ड 10 पो0- मिसी थाना- बख्तियारपुर जिला- पटना	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	गणेश राय पिता- स्व0 भरत राय ग्राम- मखदुमपुर दीघा घाट पो0- दीघा घाट थाना- दीघा जिला- पटना	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	मो0 नुरुज्जमा पिता- मो0 कमरुज्जमा ग्राम- अन्धवाकोला वार्ड 07 पो0- बेलवा थाना- किशनगंज जिला- किशनगंज	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
11	बीबी सहानी पति- अब्दुल मन्नान ग्राम- बंधू मोदी लेन न्याटोला हुसैनाबाद पो0- मिरजानहाट थाना- बबरगंज जिला- भागलपुर	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			8,20,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 8,20,000/- (आठ लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002620...द्वारा

आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-36930644306 खाता धारक का नाम-"बुद्धा कैसर सेंटर प्रा० लि०" खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0017469 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 873(14)

पटना, दिनांक 25/3/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002620... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० सं०- 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
एस.एस. अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.03.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	निरजन कुमार सिंह पिता- राजा सिंह ग्राम- हसनपुर वार्ड 02 पो०- हसनपुर थाना- महनार जिला- वैशाली	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 80,000/- (अस्सी हजार) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० ००२६२०.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 5020 418 8262 खाता धारक का नाम-एस०एस० हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर" खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- इंडियन बैंक, शाखा का नाम- हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० IDIB000H531 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 874(14)

पटना, दिनांक 25/3/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०. 002620 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग पटना, संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
25/3/26

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
बीग अपोलो स्पेट्रा अस्पताल
शीतला मंदिर रोड नीयर सप हाउस
अगमकुआ पटना 800007

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 18.03.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	भवानी देवी पति- प्रशांत कुमार ग्राम- हेमराजपुर पो०- कामदेवपुर थाना- अमरपुर जिला- बाका	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	लालबाबू सिंह पिता- बलिराम सिंह ग्राम+पो०- कुदरवाधा थाना- गरखा जिला- सारण	वन नी रिप्लेसमेंट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,80,000	

- 2 उक्त अनुदानों की कुल राशि ₹ 1,80,000/- (एक लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002620 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-1714354694 खाता धारक का नाम-"BIG Apollo Spectra Hospital खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- कोटक महिन्द्रा बैंक,(गांधी मैदान पटना) शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड सं०- KKBK0000351 में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

875(14)

पटना, दिनांक

25/3/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002620 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी० मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0-14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
ऑक्सीजन ड्रामा एण्ड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
मौर्या कॉलोनी, बिस्कोमान गोलम्बर,
साउथ ऑफ कुम्हार ब्रिज, पटना-800007

पटना, दिनांक...

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.03.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुखु महतो पिता- जेठन महतो ग्राम- जानकी बीगहा एकंगरसाराय पो0+थाना- एकंगरसाराय जिला- नालंदा	टोटल हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
2	मो0 मोबिन पिता- स्व0 बशीर अहमद ग्राम- पत्थर की मस्जिद दरगाह रोड पो0- महेन्द्र थाना- सुल्तानगज जिला- पटना	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			1,70,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि रू0 1,70,000/- (एक लाख सत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 002620 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 33569032861 खाता धारक का नाम-"ऑक्सीजन ड्रामा एंड मल्टीस्पेशलीटी अस्पताल " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम -गुलजारबाग, अशोक राजपथ, पटना सिटी, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN 0001496 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबूत मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृतादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 25/3/2026

ज्ञापांक 876(14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है लग्न चेक सं० 002620...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) सभी सबूत मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/3/26
निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
होमी भाभा कैंसर अस्पताल,
एडं रिसर्च सेंटर एस०के०एम० सी० एच कैम्पस,
उमा नगर मुजफ्फरपुर-842004

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.03.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	पूनम देवी पति- स्व० राज कुमार गुप्ता ग्राम- ब्राह्मण टोली पुरानी बाजार पो०- प्रधान डाकघर थाना- नगर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न०- 18 एफ 2023/000614	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	अंशिका कुमारी पिता- उमेश कुमार तिवारी ग्राम+पो०- राढी थाना- जाले जिला- दरभंगा केस फाईल न०- 19 एफ 2026/000969	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	कान्ति देवी पति- शम्भू दास ग्राम- अम्बरिया पो०- रूपहरा थाना- शिकारगज जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न०- 19 एफ 2026/000509	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

4	मीरा देवी पति- रामकिशोर सिंह ग्राम-पो0- केशावे थाना- बरौनी जिला- बेगूसराय केस फाईल न0- 19 एफ 2025/002029	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
5	हरिनंदन सिंह पिता- भोजू सिंह ग्राम- रेतगान्ना पो0- छोरा तभाका थाना- बिभूतिपुर जिला- समस्तीपुर केस फाईल नं0- 11 एफ 2025/012093	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	बनिता देवी पति- गोपाल प्रसाद ग्राम- शाहगज गली पो0- महेन्द्र थाना- सुल्तानगंज जिला- पटना केस फाईल न0- 11 एफ 2025/023603	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			4,50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,50,000/- (चार लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002620...द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-TMC A/C HBCH and RC, Muzaffarpur A/c No- 59126012021000 खाता धारक का नाम-"होमी भाभा कैसर हौस्पिटल,एडं रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर", खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम-RTGS/IFSC कोड सं0 HDFC 0000084 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 877(14)

पटना, दिनांक 25/3/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 022620...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई, टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी सबधित मरीजो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
Pancardia Heart & Multi Super Speciality Hospital
(P) Pvt. G-124, P.C. Colony, Main Road,
Near Domino's Pizza, Kankarbagh,
Patna - 800020

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 18.03.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	रानी देवी पति- सुनील कुमार ग्राम- यादोपुर नन्हकार वार्ड 10 पो०- करमवा थाना- ढाका जिला- पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग एमवीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	रेणू देवी पति- बीरू मांझी ग्राम- अतौआ पो०- गोनवां थाना- नवादा जिला- नवादा	हृदय रोग डीवीआर	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
			2,35,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,35,000/- (दो लाख पैंतीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002620 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 50200060079860 खाता धारक का नाम- Pancardia Heart and Multi super Speciality Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- HDFC Bank Ltd., शाखा का नाम- , RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करे। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 25/3/2026

ज्ञापाक 878(14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002620.....की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई टी, मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
हार्ट अस्पताल प्रा० लिमिटेड (चन्द्रालय)
बी/29 पत्रकार नगर
ककडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.03.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है:-

क्र० सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	श्याम सुंदर प्रसाद सिंह पिता-लालदेव सिंह ग्राम-पचई मोबारक पो०-बसरा थाना-राजापाकर जिला वैशाली	हृदय रोग पी० टी० सी०ए०	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
			1,35,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,35,000/- (एक लाख पैंतीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता स०-30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 002620.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 30002849889 खाता धारक का नाम-"HEART HOSPITAL LTD. ककडबाग पटना 20" खाते का प्रकार- चालू बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम..... .RTGS/IFSC कोड स० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/ अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।

4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
5. यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन


ह०/—
(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 879 (14)

पटना, दिनांक 25/3/26

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है किन चेक सं० 002620 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त की कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कजाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीजो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
दृष्टि कुज नेत्रालय, प्रा०लि०,
सगुना मोड, बेली रोड, पटना 801503

पटना, दिनांक... ..

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 18.03.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	शिव कुमारी देवी पति-राम कुमार राय ग्राम+पो०-आनदपुर थाना-बिहटा जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	रामचन्द्र महतो पिता निरसो महतो ग्राम-तिलक ताजपुर पो०-तिलक ताजपुर थाना-रुन्नी सैदपुर जिला-सीतामढी	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	भजन साह पिता-रामदेव साह ग्राम+पो०-तिलक ताजपुर थाना-रुन्नी सैदपुर जिला-सीतामढी	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	बाबु नंद सहनी पिता-दुधु सहनी ग्राम-रायपुर पो०-मानपुर रतनौली थाना-रुन्नी सैदपुर जिला-सीतामढी	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
5	मो० समीद पिता-मो० हकीम ग्राम+पो०+थाना-मखदुमपुर जिला-जहानाबाद	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

6	मो० शरीफ पिता-मो० मुस्तफा ग्राम-मलकाना पो०-मसौढी थाना-मसौढी जिला पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
7	कैमरून निशा पति-मो० ईशा अहमद ग्राम-दरियापुर पो०-कसार थाना-बेलसड जिला-सीतामढी	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
8	शनिचरी देवी पति-बाबु नंद सहनी ग्राम-रामपुर पो०-मानपुर रतनौली थाना-रून्नी सैदपुर जिला-सीतामढी	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
9	कलशिया देवी पति-रामचंद्र सहनी ग्राम+पो०-तिलक ताजपुर थाना-रून्नी सैदपुर जिला सीतामढी	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
10	शनिचर मांझी पिता-मगल मांझी ग्राम-तिलक ताजपुर पो०-तिलक ताजपुर थाना रून्नी सैदपुर जिला-सीतामढी	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
11	बैद्यनाथ राय पिता-जैसी राय ग्राम-बलुआ पो०-डुमरा थाना-महिन्दवारा जिला-सीतामढी	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
12	रामकली देवी पति-भरत राय ग्राम-बलुआ पो०-डुमरा थाना-महिन्दवारा जिला-सीतामढी	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
13	सतोष ठाकुर पिता-सरयुग ठाकुर ग्राम-खराहुआ पो०-सीरी खिरिया थाना-महिंदवारा जिला-सीतामढी	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

14	सोनफी राम पिता-चुल्हाई राम ग्राम-बलुआ पो0-डुमरा थाना-महिंदवारा जिला सीतामढी	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
15	माधुरी देवी पति-लक्ष्मी नारायण पाण्डेय ग्राम+पो0-पथरहट थाना-धनरूआ जिला-पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
16	हरदेव राय पिता-बंगाली राय ग्राम-महेश फरकपुर पो0-हरि रामपुर थाना-रून्नी सैदपुर जिला-सीतामढी	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
17	मजु देवी पति-बिकाऊ राय ग्राम-कल्याणपुर पोस्ट-चंदवारा थाना-औराई जिला मुजफ्फरपुर	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
18	आनन्दी राय पिता-जमुना राय ग्राम-दरबेसा पो0-टरवा थाना-दरियापुर जिला-सारण	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
19	बिदा देवी पति-बिशुनदेव सिंह ग्राम-सच्ची पट्टी पोस्ट-हाजीपुर थाना-हाजीपुर जिला वैशाली	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
20	चिंता देवी पति-कामेश्वर मिस्त्री ग्राम-रसुला पो0-पिंजौरा थाना-काको जिला-जहानाबाद	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
21	मीना देवी पति-सुरेन्द प्रसाद ग्राम-रसुला पो0-पिंजौरा थाना-काको जिला-जहानाबाद	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

22	चमेली देवी पति-लखन सिंह ग्राम-सच्ची पट्टी पो0+थाना हाजीपुर जिला-वैशाली	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
23	कल्लु यादव पिता-साधु यादव ग्राम-जैतीपुर पो0-सुपी थाना-काको जिला-जहानाबाद	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
24	राजमनी देवी पति-राधे श्याम शर्मा ग्राम-अशियावा पो0-पैगम्बरपुर थाना काको जिला जहानाबाद	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
25	देवमुनिया देवी पति-इद्रजीत पासवान ग्राम-सहबजपुर पटवा पो0-हरौली थाना-हाजीपुर जिला वैशाली	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
26	भजन सहनी पिता-प्यारे सहनी ग्राम-पेटिया पो0-धडहरवा थाना हाजीपुर जिला वैशाली	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
27	मोती देवी पति राजेन्द शर्मा ग्राम-सबजपुर पटवा पो0-हरौली थाना हाजीपुर जिला वैशाली	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
28	फुला देवी पति-तिवारी राय ग्राम-ईस्माईलपुर पो0-इस्माईलपुर थाना-हाजीपुर जिला वैशाली	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
29	वेदामिया देवी पति-कमल सहनी ग्राम-पहेटिया पो0-धरहरा थाना हाजीपुर जिला वैशाली	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

30	गुजरी देवी पति नागा साहनी ग्राम-पहेतिया पो-धरहारा थाना हाजीपुर जिला वैशाली	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			3,00,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000/- (तीन लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002620 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 333905000940 खाता धारक का नाम-Drishtikunj Netralaya Pvt. Ltd खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम ICICI बैंक, शाखा का नाम Saguna More, Patna. RTGS/IFSC कोड सं० ICIC0003339 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 881(14)

पटना, दिनांक 25/3/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002620 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
सार्प साईट आई० हौस्पिटल,
आध्या हाईट आशियाना मोड,
आशियाना दीघा रोड,
पटना 800025

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक— 18 03 2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित वीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	ललिता देवी पति— कृष्ण बिहारी मिश्रा ग्राम— धनजयपुर पो०— नगवा थाना— सिमरी जिला— बक्सर	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	प्रमिला देवी पति— राज नाथ सिंह ग्राम— शिवनदन नगर घुरदौर रोड पो०— अशियाना नगर थाना— राजीवनगर जिला— पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			₹ 20,000 /-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 20,000 /- (बीस हजार) रू० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०— 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 00...2620...द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स० 50200043954418 खाता धारक का नाम— 'SHARP SIGHT CENTER EAST U/O SSL CP LTD' खाते का प्रकार— बैंक का नाम— HDFC Bank PVT LTD, शाखा का नाम— LAXMI NAGAR DIST CENTER VIKASH MARG, NEW DELHI - 110092, RTGS/IFSC कोड स० HDFC0000120 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को

कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 883(14)

पटना, दिनांक 25/3/2024

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002620 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अरविन्द कुमार चौधरी
पिता- अशोक कुमार चौधरी
ग्राम- टीचर्स कॉलोनी छठ पोखर ततमा टोली
पो०- भट्टा बाजार थाना- सहायक खजाची
जिला- पूर्णियाँ
पिनकोड- 854301

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.03.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अरविन्द कुमार चौधरी पिता- अशोक कुमार चौधरी ग्राम- टीचर्स कॉलोनी छठ पोखर ततमा टोली पो०- भट्टा बाजार थाना- सहायक खजाची जिला- पूर्णियाँ पिनकोड- 854301	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30 01 2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000 /-	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000 /- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002620 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं- 55150500000004, खाता धारक का नाम- ARVIND KUMAR CHOUDHARY, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- BANK OF BARODA, शाखा का नाम- BHATTA BAZAR, PURNIA, IFSC कोड सं- BARBOBHATTA में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह० / -


(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 903(14)

पटना, दिनाक 25/3/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक स0 002620 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आर्. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


25/3/26
निदेशक प्रमुख



भट्टा बाजार, पूर्णिया शाखा, पूर्णिया - ८५४३०१
 BHATTA BAZAR, PURNIA BRANCH, PURNIA - 854301
 RTGS / NEFT IFSC CODE BARB0BHATTA

जारी की गई तारीख से तीन माह के लिए वैध / VALID FOR THREE MONTHS FROM THE DATE OF ISSUE

CBS 10022026
 D E M O N S T R A T I O N

कैश क्रेडिट खाता CASH CREDIT ACCOUNT

Pay or Bearer

Rupees रुपये या धारक को

Cancelled Cheque

₹ अदा करें

4000000505155

खा स
 A/c No. 55150500000004

CC/2023/UF

भारत की सभी शाखाओं पर सममूल्य पर देय
 Payable at par at all branches in India BHATTA

ARVIND KUMAR CHOUDHARY

Please sign above

⑈000305⑈ 854012104⑈ 500004⑈ 30

UTILITY FORMS PVT LTD / CTS-2010

0000305

स० स० 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

मनीष कुमार मनीष
पिता- नेविलाल सुधाकर
ग्राम- रोहुआ
पो०- शाहपुर
थाना- जन्दाहा
जिला- वैशाली
पिनकोड- 844505

पटना, दिनांक.....

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.03.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मनीष कुमार मनीष पिता- नेविलाल सुधाकर ग्राम- रोहुआ पो०- शाहपुर थाना- जन्दाहा जिला- वैशाली पिनकोड- 844505	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 002620.. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०- 3303530331, खाता धारक का नाम- MANISH KUMAR MANISH, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- CENTRAL BANK OF INDIA, शाखा का नाम- JANDAHA, IFSC कोड स०- CBIN0282460 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-


(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 904 (14)

पटना, दिनाक 25/3/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स० 002620 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


24/3/26
निदेशक प्रमुख

सूचना

डॉ. प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सक में,

मनीष कुमार मनीष
पिता- नेविलाल सुधाकर
ग्राम- राहुआ
प.ओ- शाहपुर
थाना- जन्दाहा
जिला- वैशाली
पिनकोड- 844505

पटना दिनांक 08/9/2025

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
नकारात्मक।

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का प्राधिकृत समिति की दिनांक 27.08.2025 की बैठक में लिये गए निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के प्रस्ताव देवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रधान किरता के रूप में कलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
	मनीष कुमार मनीष पिता- नेविलाल सुधाकर ग्राम- राहुआ प.ओ- शाहपुर थाना- जन्दाहा जिला- वैशाली पिनकोड- 844505	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार रुपये। (विभागीय सकल्य संख्या- 213(14) दिनांक-30.01.2024 के अनुसूची में)
			रु० 1,08,000/-	

2. उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि का मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष खाता सं-30121380424 एस.बी.आई. बैंक रोड राखा पटना के ब्रांच के सं- 196983 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं- 3303530331 खाता सं-3303530331 का नाम- MANISH KUMAR MANISH, खाते का प्रकार- बैंक का नाम- CENTRAL BANK OF INDIA, शाखा का नाम- JANDAHA, IFSC कोड सं- CBIN0282460 में अंतरित किया जायेगा।

3. निवेदन किया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा किराये, राशन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी भी प्रकार से राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

वैशाली
(डॉ. प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

दीपक कुमार
पिता- सुरेश प्रसाद गुप्ता
ग्राम- भेलौरी
पो०- केशवनगर
थाना- चौथम
जिला- खगडिया
पिनकोड- 851201

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.03.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	दीपक कुमार पिता- सुरेश प्रसाद गुप्ता ग्राम- भेलौरी पो०- केशवनगर थाना- चौथम जिला- खगडिया पिनकोड- 851201	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002620 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०- 5705147709, खाता धारक का नाम- DEEPAK KUMAR, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- CENTRAL BANK OF INDIA, शाखा का नाम- MAHESHKHUNT, IFSC कोड सं०- CBIN0283921 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-


(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 905(14)

पटना, दिनाक 25/3/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002620 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख
24/3/26

We are BCSBI code complaint Bank. For details, please contact the Branch Manager

आपकी आवश्यकता के अनुरूप हमारे ऋण उत्पाद

- प्रत्यक्ष आवास वित्त (वैयक्तिक आवास के लिए)
- सेन्ट विद्यार्थी (भारत तथा विदेश में उच्च शिक्षा के लिए ऋण)
- सेन्ट व्हीकल (दो पहिया/ती पहिया वाहनों के लिए वैयक्तिक ऋण)
- सेन्ट मार्गेज (वैयक्तिक प्रयोजन के लिए संपत्ति के समक्ष ऋण)
- सेन्ट ट्रेड (व्यापारियों के लिए कार्यशील पूंजी)
- सेन्ट स्वामिमान (व्यक्तिगत ऋणियों के लिए मार्गेज योजना)
- सेन्टल किसान क्रेडिट कार्ड (किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम)
- सेन्टल लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड
- सेन्ट कल्याणी (श्रद्धा किराए के समरूप)
- सेन्ट कल्याणी (महिला उद्यमियों को ऋण)
- पेंशनरों को ऋण (व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु)
- लघु एवं मध्यम उद्यमी ऋण एकरमई उद्यमियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु)

क्या अपना पिन नम्बर (एटीएम कार्ड/क्रेडिट कार्ड) किसी भी व्यक्ति को फोन या ई-मेल द्वारा न दें. बैंक इस तरह कमी भी आपके व्यक्तिगत विवरण नहीं मांगता है।

Our Loan Products to meet your requirements

- Direct Housing Finance (For Personal Housing)
 - Cent Vidyarthi (Education loan for higher studies in India & Abroad)
 - Cent Vehicle (Personal loan for two/four wheelers)
 - Cent Mortgage (Loan for personal use against property)
 - Cent Trade (Working Capital for traders)
 - Cent Swabhimaan (Reverse Mortgage Scheme for Senior Citizens)
 - Central Kisan Credit Card (empowering farmers for their financial requirements)
 - Central Laghu Udyami Credit Card
 - Central Rentals (Loan against future rentals)
 - Cent Kalyani (Loan to women entrepreneur)
 - Loan to pensioners (to meet personal exigencies)
 - Loan to MSME (to meet credit requirements for SME entrepreneur)
- Please do not disclose your PIN (ATM Card/Credit Card) to anybody over phone or email, Bank never asks such personal details this way.



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

MAHESHKHURJ
Account No: 5705147709
STIN: 19AAAACC2448P3ZG
K7C No:

Branch Address And Tel No.:
HOUSE OF JAGDISH KESHU S O M
KHAJURA WAKKE BILAK MAHESHKHURJ
851213
Tel:

NICR Code: 251016663
IFSC Code: CBIIN0283921
19/01/2024

Tollfree no: 18043030 Whatsapp Banking :7900123123

Name And Address Of Account Holder/s:
Mr. Deepak Kumar

S/O SURESH PRASAD GUPTA
AT DHELOURI WARD NO 10
PO KESHAVNAGAR CIF: 8601863602
851201 Nomination: V



Deposits are insured upto a maximum of Rs Five lacs subject to the conditions and announcements by DICOR from time to time.

तारीख/Date

अधिकारी

समक्ष,

श्रीमान् लेख्य प्रमाणक महोदय

खगड़िया।

शपथ पत्र सं०-...../2026

मैं दीपक कुमार पिता- सुरेश प्रसाद गुप्ता, उम्र- 32 वर्ष, साकिन- भेलौड़ी, थाना-चौथम, जिला-खगड़िया बिहार, पिन कोड-851201 का निवासी हूँ। शपथ पूर्वक निम्नलिखित व्यान करती हूँ कि-

- 1 यह कि मैं उपरोक्त पते का स्थाई निवासी हूँ तथा आधार कार्ड संख्या-6465 1859 7239 है।
- 2 यह कि मैं किडनी रोग से ग्रसित हूँ मेरा किडनी (गुर्दा) का प्रत्यारोपण इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में दिनांक 30-04-2025 के दिन हुआ मेरा दाखिल कि तिथि
- 3 यह कि मेरा गुर्दा का प्रत्यारोपण होने के बाद मुझे संस्थान से 15-05-2025 के दिन छुट्टी दे दिया गया उसके बाद मेरे दवा का खर्च प्रति माह 18000/- (अठारह हजार) रुपया है जिसका एक ^{माह} का कुल दवा खर्च 2,16,000/- (दो लाख सोलह हजार) रुपया होता है।
- 4 यह कि मैं गरीबी रेखा के अंतर्गत आता हूँ। गरीबी रेखा के अंतर्गत जीवन यापन करने वाले को सरकारी प्रावधानों के तहत मुख्यमंत्री मेडिसीन संस्थान की ओर से अनुदान राशि दी जाती है।
- 5 यह कि मैं मुख्यमंत्री मेडिसीन संस्थान (फण्ड) से 3,00,000/- (तीन लाख) रुपया प्राप्त कर लिया है।
- 6 यह कि मेरा खाता संख्या-5705147709 IFSC CODE-CBINO283921 हैं जो बैंक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा महेशखूंट में हैं।
- 7 यह कि स्वीकृत द्वितीय किस्त की राशि का उपयोग में केवल दावा खरीदने एवं सेवन करने में करूँगी।
- 8 यह कि मैं दवा के लिए मुख्यमंत्री मेडिसीन फण्ड (संस्थान) के अनुदान की राशि प्राप्त हेतु उक्त शपथ पत्र बनवा रही हूँ।
- 9 यह कि उपरोक्त बाते बाते मेरी जानकारी में सही व सत्य हैं।

अतः यह शपथ पत्र है।

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

दीपक कुमार

ATTESTED

S. K. Suman
NOTARY CIVIL COURT

I certified to the deponent
was her signature at his/her
L.T.F. in my presence

Notary

6/3/2026

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
बी०एस०एल, आई केयर,
रवीन्द्र बालिका विद्यालय रोड न०-2
राजेन्द्र नगर पटना-800016

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 18.03.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सार्त निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एव पता तथा अस्पताल की निबधन सख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो मे
1	2	3	4	
1	महेश्वरी देवी पति-जगन पासवान ग्राम- राघोपुर पश्चिम पो०-राघोपुर थाना-जुरावनपुर जिला-वैशाली	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	रामेश्वर प्रसाद पिता-भगवान दास ग्राम-बाढ पो०-बाढ थाना बाढ जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	गिरिया सिंह पति-दुखन सिंह ग्राम-राघोपुर पश्चिम पो०-राघोपुर थाना-जुरावनपुर जिला वैशाली	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	बालेश्वर महतो पिता-बेचन महतो ग्राम-राघोपुर पूर्वी पो०-राघोपुर थाना-जुरावनपुर जिला-वैशाली	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

5	किशोरी ठाकुर पिता-दीपन ठाकुर ग्राम-भीमपुरा पो0-घोरहुआ थाना-मसौडी जिला पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
6	शैली देवी पति-श्याम नारायण सिंह ग्राम-भीमपुरा पो0-घोरहुआ थाना-मसौडी जिला पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	रजिया देवी पति-लाल बहादुर महतो ग्राम+पो0-लखीपुर थाना-सालीमपुर जिला-पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
8	रामजी राय पिता-बेनी राय ग्राम+पो0-राघोपुर थाना-जुरावनपुर जिला वैशाली	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
9	राजपतिया देवी पति-मोहन महतो ग्राम+पो0-रुसतमपुर थाना-राघोपुर जिला-वैशाली	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
10	चाद गोबिन्द बिन पिता-सकल बिन ग्राम-नेकनाम टोला पो0-नेकनाम टोला थाना-बडहरा जिला-भोजपुर	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
11	राजमुनी देवी पति-राम भवन राम ग्राम-रामपुर पो0-बडहरा थाना-बडहरा जिला-भोजपुर	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
12	भुवनेश्वर ठाकुर पिता-गुप्तेश्वर ठाकुर ग्राम+पोस्ट-मटुकपुर थाना बडहरा जिला-भोजपुर	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
13	परोजन चौधरी पिता-राम नन्द चौधरी ग्राम-छितनी के बाग पो0-नेकनाम टोला थाना-बडहरा जिला भोजपुर	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

14	रामरती देवी पति-स्व० लखन भगत ग्राम+पो०-रामपुर श्यामचद थाना राघोपुर जिला वैशाली	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
15	टुनटुन राम पिता-तपी राम ग्राम+पो०-बलीगाव थाना-आयर जिला-भोजपुर	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
16	हरेन्द्र सिंह पिता-रघुवश सिंह ग्राम-महतइन टोला पो०-बलीगाव थाना-आयर जिला-भोजपुर	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
17	सुशीला देवी पति-हरेन्द्र सिंह ग्राम-महतइन टोला पो०-बलीगाव थाना-आयर जिला-भोजपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
18	धन रावत देवी पति-विश्वनाथ साह ग्राम-बलीगाव पोस्ट-बलीगाव थाना-आयर जिला-भोजपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
19	मालती देवी पति-सुरेन्द्र सहनी ग्राम-एकमा पो०-डीहजीवर थाना-हथौडी जिला-मुजफ्फरपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
20	सीता देवी पति-महावीर राय ग्राम-फतेहपुर बेरौना पो०-सरहचीया थाना-औराई जिला-मुजफ्फरपुर	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
21	मनीष कुमार पिता-बलीराम सिंह ग्राम-सरहचीया पो०-हसवारा थाना-औराई जिला-मुजफ्फरपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

22	फेकु महतो पिता-शिवलाल महतो ग्राम-फतेहपुर बैरौना पो0-सहरचिया थाना-औराई जिला-मुजफ्फरपुर	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
23	वीणा देवी पति-जोगिद्र सिंह ग्राम-राजखंड पो0-राजखंड थाना-औराई जिला-मुजफ्फरपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
24	रामफल राय पिता-राजा राय ग्राम-फतेहपुर बैरौना पो0-सरहचीया थाना-औराई जिला-मुजफ्फरपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
25	गीता देवी पति-उपेन्द्र पासवान ग्राम-सरहाचिया पो0-हसवारा थाना-औराई जिला-मुजफ्फरपुर	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
26	दुखिया देवी पति-नित्यानद राय ग्राम-मानस नया पानापुर पो0-दीघा थाना दीघा जिला-पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
27	कुसुम देवी पति-सुलेन्द्र माझी ग्राम-मसूरगज मुसहरी टोली पोस्ट-बेगमुपर थाना मालसलामी जिला-पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
28	वकील राय पिता-धनेश्वर पासवान ग्राम+पो0-डीहारी थाना-पीपडा जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
29	धनेश्वर पासवान पिता-देवनाथ पासवान ग्राम+पो0-डीहारी थाना-पीपडा जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

30	गुलाबो कुँवर पति-बैजनाथ सिंह ग्राम+पो0-डीहरी थाना-पीपरा जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
31	जमादार बैठा पिता-बली बैठा ग्राम+पो0-डीहरी थाना-पीपरा जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
32	नंदा देवी पति-कोवल कुमार महतो ग्राम+पो0-डीहरी थाना-पीपरा जिला-पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
33	सुरेश राम पिता-राजदेव राम ग्राम-चकिया पो0-बेलखारा थाना-करपी जिला-अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
34	कांति देवी पति-गोपाल साव ग्राम-बेलखारा पो0-बेलखारा थाना-करपी जिला अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
35	नकुल प्रसाद पिता-झरी राय ग्राम-बेलखारा पो0-बेलखारा थाना-करपी जिला अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
36	डोमी राय पिता-रामवृक्ष राय ग्राम-कोइली मछुआ पो0-टेंगराहा थाना-मीनापुर जिला-मुजफ्फरपुर	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
37	नौशाबा खातुन पति-मो0 युसुफ ग्राम-इसापुर पो0-फुलवारी शरीफ थाना-फुलवारीशरीफ जिला पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
38	फिरोजा खातुन पति-मो0 सोबराती ग्राम-ईशापुर पुरानी मस्जिद पोस्ट+थाना-फुलवारीशरीफ जिला पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

39	अनिल दास पिता-श्याम दास ग्राम-खलीलपुरा पो0+थाना फुलवारीशरीफ जिला पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
40	माराच्छे राम पिता-सोमारू राम ग्राम-दरियापुर गोला मोहर टोला, पोस्ट-बाकीपुर थाना कदमकुआ जिला पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
41	समुंद्री देवी पति-सुशील यादव ग्राम-भंवर पोखर नियर काली मदिर पो0-बाकीपुर थाना-पीरबहोर जिला पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
42	गायत्री देवी पति-कृष्णा राय ग्राम-अमरूदी गली नाला रोड पो0-बाकीपुर थाना कदमकुआ जिला पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
43	कमल सिंह पिता-नेमी चॉद ग्राम-दिनकर चौक महामुद्दीचक, पो0-राजेन्द्र नगर थाना-कदमकुआ जिला-पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
44	चन्द्रावती देवी पति-भुसन राम ग्राम-जगत नारायण रोड पोस्ट+थाना कदमकुआ जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
45	राम सवारो देवी पति-भरत यादव ग्राम-बाकरगंज नटराज गली पो0-बाकीपुर थाना कदमकुआ जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
46	रामजी राय पिता-भानु राय ग्राम-वेस्ट लोहानीपुर पोस्ट+थाना-कदमकुआ जिला पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

47	राधे श्याम साव पिता-सुखदेव साव ग्राम-दरियापुर गोला मोहर टोला, गोबर गली पोस्ट-बाकीपुर थाना-कदमकुआ जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			4,70,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,70,000/- (चार लाख सत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 00.26.20... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-295711100000885 खाता धारक का नाम-B.S.L. EYE CARE खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-युनाईटेड बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम नाला रोड कदमकुआ RTGS/IFSC कोड सं० UBIN0829579 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छ माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 25/3/2026

ज्ञापाक 880(14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 00.26.20...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख